

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 04, मंगलवार, शाके 1947- अगस्त 26, 2025 <i>Bhadra 04, Tuesday, Saka 1947- August 26, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2025

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2024 :-यत् राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने वाली M/s Modern MVUs Pvt. Ltd एवं M/s Community Action Through Motivation Programme द्वारा संचालित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट (Component of LHDCP : ESVHD-MVU) सेवाओं तथा Bharat Financial Inclusion Limited (BFIL) द्वारा संचालित कॉल सेटर के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से उक्त सेवाओं से संबंधित तथा कॉल सेटर के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्वारा दिनांक 21.08.2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,

शासन उप सचिव।

गृह (गुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2025

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2024 :-यत् राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.08.2025 के द्वारा राज्य के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने वाली M/s Modern MVUs Pvt. Ltd एवं M/s Community Action Through Motivation Programme द्वारा संचालित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट (Component of LHDCP : ESVHD-MVU) सेवाओं तथा Bharat

Financial Inclusion Limited (BFIL) द्वारा संचालित कॉल सेटर के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को दिनांक 21.08.2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है;

यत् और राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया जाना आवश्यक है;

यत् अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राज्य के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने वाली M/s Modern MVUs Pvt. Ltd एवं M/s Community Action Through Motivation Programme द्वारा संचालित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1962 मोबाईल वैंटरनरी यूनिट (Component of LHDCP : ESVHD-MVU) सेवाओं तथा Bharat Financial Inclusion Limited (BFIL) द्वारा संचालित कॉल सेटर के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने को एतद्वारा दिनांक 21.08.2025 से आगामी 06 माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।